



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 514]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 सितम्बर 2018—भाद्र 31, शक 1940

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन

17, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2018

आदेश

फा. क्र. 25-09-स्वीप-2018-8673.—भारत निर्वाचन आयोग के आदेश क्र. 491-पेड न्यूज-2012-मीडिया, दिनांक 27 अगस्त 2012 में दिए गए निर्देशानुसार निम्नानुसार राज्यस्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाता है:—

- i मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश.
- ii भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त एक प्रेक्षक—सदस्य
- iii संयुक्त निदेशक, (न्यूज) आकाशवाणी भोपाल—सदस्य
- iv निदेशक, (न्यूज) दूरदर्शन केन्द्र, भोपाल
- v ब्यूरो चीफ, पी.टी.आई., भोपाल
- vi ब्यूरो चीफ, यू. एन. आई, भोपाल
- vii मैम्बर, प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया, चीफ एडिटर नई दुनिया, इंदौर.
- viii संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, सदस्य-सचिव.

इस समिति द्वारा आयोग के आदेश दिनांक 27 अगस्त 2012 के अंतर्गत गठित समिति द्वारा एवं जिलास्तरीय एम.सी.एम.सी. द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध किसी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत शिकायत/अपील की सुनवाई करके अथवा ऐसे प्रकरण जो स्वविवेक से समिति द्वारा लिए जाये, विज्ञापन के प्रमाणीकरण/पेड न्यूज के सम्बन्ध में निर्णय दिया जायेगा।

हस्ता./-

(राकेश कुशरे)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2018

आदेश

फा. क्र. 05-09-स्वीप-2018-9796.—भारत निर्वाचन आयोग के आदेश क्र. 509-75-2004-JS-I, दिनांक 15 अप्रैल 2004 में दिए गए निर्देशानुसार विज्ञापन प्रमाणन हेतु राज्यस्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:—

1. संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश (निर्वाचन व्यय निगरानी)—अध्यक्ष।
2. उप मु.नि.प. (निर्वाचन व्यय निगरानी)—सदस्य।
3. सहायक निदेशक (समाचार), दूरदर्शन—सदस्य।
4. कलेक्टर, भोपाल (रिटर्निंग अधिकारी)।

इस समिति द्वारा आयोग के आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2004 के अन्तर्गत राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा दिये गये आवेदनों के आधार पर विज्ञापन के अनुबोधन एवं प्रमाणन का कार्य किया जावेगा।

हस्ता./-

(राजेश श्रीवास्तव)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश.